

टिप्पणी तथा आज्ञायें

पत्रांक-हे0न0ब0ग0वि0वि0 / अभि.सेवा / 1468

दिनांक- 24/09/26

सिस्टम मैनेजर

हे0न0ब0ग0वि0वि0, श्रीनगर गढवाल

कुलसचिव महोदय द्वारा अनुमोदन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट में विज्ञप्ति को अपलोड किया जाना है।

इस क्रम में विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट में विज्ञप्ति को अपलोड करने का कष्ट करें।

टिप्पणी तथा आज्ञायें

Bhangil
(प्रभारी अधिशासी अभियन्ता)

महोदय
दिनांक

सिस्टम मैनेजर

हे0न0ब0ग0वि0वि0, श्रीनगर गढवाल

कुलसचिव महोदय द्वारा अनुमोदन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट में विज्ञप्ति को अपलोड किया जाना है। इस क्रम में विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट में विज्ञप्ति को अपलोड करने का कष्ट करें।

टिप्पणी तथा आज्ञायें

अभि.सेवा

दिनांक

सिस्टम मैनेजर

हे0न0ब0ग0वि0वि0, श्रीनगर गढवाल

कुलसचिव महोदय द्वारा अनुमोदन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट में विज्ञप्ति को अपलोड किया जाना है। इस क्रम में विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट में विज्ञप्ति को अपलोड करने का कष्ट करें।

दिनांक

अभि.सेवा

दिनांक

विज्ञप्ति विवरण

विषय:- सामान्य वित्तीय नियम-सीमित निविदा के अन्तर्गत विभिन्न सिविल अनुरक्षण, परिवर्तन/परिवर्धन इत्यादि कार्यों के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय में ठेकेदारों के नवीन पंजीयन एवं पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों का पंजीयन नवीनीकरण।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के पौड़ी, श्रीनगर-चौरास, बादशाहीथौल टिहरी एवं अन्य निर्दिष्ट स्थलों में सामान्य वित्तीय नियम के अनुरूप सीमित निविदा के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न सिविल-अनुरक्षण, विकास तथा लघु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों अथवा हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय अभियंत्रण सेवा/अनुरक्षण अनुभाग में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदारों जिन्हें ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो, तथा जो हैसियत विहीन, देयताधीन, दीवालिया व पागल न हों व किसी न्यायालय द्वारा उन्हें किसी अपराधिक कृत्य व संविधान के उल्लंघन में दण्डित नहीं किया गया हो अथवा अयोग्य घोषित न किया गया हो, एवं जो उत्तराखण्ड के निवासी हों से विश्वविद्यालय में सिविल/उद्यानिकी अनुरक्षण एवं लघु कार्यों हेतु ठेकेदार के रूप में पंजीकरण एवं पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों का पंजीयन नवीनीकरण हेतु दि० 14.10.2024 तक, निर्धारित प्रपत्र संलग्नक - 'अ' पर पंजीकृत डाक से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2- आवेदन के साथ सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर शपथ पत्र संलग्नक- 'ब' में दिये गये विवरणानुसार प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

3- निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण अनुभाग हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वितीय तल छात्र सुविधा केन्द्र समीप मुख्य गेट प्रशासनिक भवन श्रीनगर गढ़वाल को पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जायेंगे।

5- पंजीकरण पंजीयन तिथि से आगामी 05 (पाँच) वर्षों के लिए मान्य होगा यद्यपि ठेकेदार को किन्हीं भी निम्नलिखित कारणों के स्थापित होने/सत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय में प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

(i) किसी अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहता है या असंतोषजनक रूप से संपादित करता है।

(ii) अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है।

(iii) सूचीबद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।

(iv) सूचीबद्धता के समय गलत विवरण देने का दोषी पाया जाता है।

(v) सूचीबद्ध करने वाले प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना इकाई के नाम में परिवर्तन करता है।

(vi) निर्धारित पते में परिवर्तन होने की सूचना तीन महीने के भीतर देने में विफल रहता है।

(vii) दिवालिया Insolvent घोषित किया गया है।

(viii) श्रम नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है।

(ix) किसी भी स्रोत से यह जानकारी मिलने पर कि-गम्भीर प्रकृति की शिकायतों में शामिल है जो सिद्ध हो गयी हों।

(x) आयकर, जी०एस०टी० आदि जैसे कर बकाया के निपटान में चूक करता है।

(xi) उन पात्रता मानदण्डों को पूरा करना बंद कर देता है जिसके आधार पर सूचीकरण किया गया था।

(xii) उसे कार्य सौंपे जाने पर भी कार्य शुरू नहीं करता।

(xiii) अनुबंध में उल्लेखित अधि के दौरान प्रभारी अभियन्ता द्वारा इंगित किये गये निर्माण/संरचनात्मक दोषों को 02 माह से अधिक न होने वाले उचित समय के भीतर ठीक करने में विफल रहता है।

(xix) जी०एफ०आर० 2017 के नियम 175 के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करता है।

(xx) घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, कार्य को छोड़ देना या घटिया गुणवत्ता के कार्य करना।

(xxi) दुर्व्यवहार, धमकाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना, झूठी शिकायतें करना, तुच्छ कारणों से कानूनी मुकदमें दायर करना या कोई भी ऐसा कार्य, चूक या कमिशन जो विभाग/अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।

(xxii) सामग्री के नमूनों के संग्रह और प्रस्तुत करने में 03 (तीन) बार विफल रहता है या परीक्षण प्रयोगशालाओं को परीक्षण के भुगतान करने में विफल रहता है।

(xxiii) ठेकेदार द्वारा भुगतान के लिये प्रस्तुत किये गये बिलों में अधिक माप/गलत माप/ माप की पुनरावृत्ति, जिसके लिये पिछले बिलों में पहले ही भुगतान किया चुका है।

(xxiv) कार्य सौंपे जाने से पहले निविदा वापस लेना या कार्य को छोड़ देना।

(xxv) किसी भी केन्द्र सरकार के विभाग/मंत्रालय या केन्द्र सरकार के पीओएसओ द्वारा प्रतिबंधित किया जाना।
(xxvi) किसी अन्य कारण से।

6- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित आवेदन के साथ निम्न पत्रजात व विवरण संलग्न किये जाने अनिवार्य हैं जिनके बिना विश्वविद्यालय में पंजीकरण हेतु विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(1)- उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इस प्रकार के कार्यों हेतु ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होने सम्बन्धी पत्रजात (सम्बन्धित विभाग-लो०नि०वि०/के०लो०नि०वि० में ठेकेदार की पंजीकरण की वैधता कम से कम दिसम्बर 2026 या अधिक समयावधि के लिये होनी आवश्यक है, इससे कम वैधता अवधि को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा)।

(2)- जी.एस.टी. कार्यालय, उत्तराखण्ड में पंजीकरण (GSTIN)।

(3)- आयकर सम्बन्धी पैन (PAN) नम्बर।

(4)- आवेदन के साथ "ठेकेदार धरोहर धनराशि" के रूप में रु० 20000/- (बीस हजार रुपये) मात्र धनराशि की एन.एस.सी./किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी टी०डी०आर० जो कि वित्त अधिकारी, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम प्लेज्ड हो, संलग्न की जानी आवश्यक है। उक्त एन०एस०सी०/टी०डी०आर० सम्बन्धित ठेकेदार के विश्वविद्यालय में पंजीकरण अवधि आगामी 05 (पाँच) वर्षों तक के लिये बन्धक के रूप में जमा होगी जो कि ठेकेदार के विश्वविद्यालय में पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार के आवेदन पर वापस कर दी जायेगी।

(5)- 'पंजीकरण शुल्क' (नॉन रिफण्डेबल) के रूप में रु० 5000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो व जो कि वित्त अधिकारी, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के नाम देय हो, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(6)- पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(7)- संतोषजनक कार्य प्रदर्शन का प्रमाण-

विगत, तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) में ठेकेदार द्वारा जिन-जिन विभागों में मौलिक रूप से सिविल अनुरक्षण व लघु कार्य सम्बन्धी कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित कराये गये हों उनके विभागीय अभियंताओं (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता) से संयुक्त रूप से संतोषजनक कार्य सम्पादन का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यलागत के उल्लेख सहित संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(8)- कार्यानुभव का विवरण-

(अ) विगत, तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) में ठेकेदार द्वारा जो उल्लेखनीय एवं मौलिक सिविल अनुरक्षण एवं लघु/नवीन निर्माण कार्य संपन्न किये गये हों जिनकी लागत रु० 5.00 लाख या रु० 5.00 लाख से अधिक हो उनका विवरण दिया जाना आवश्यक है।

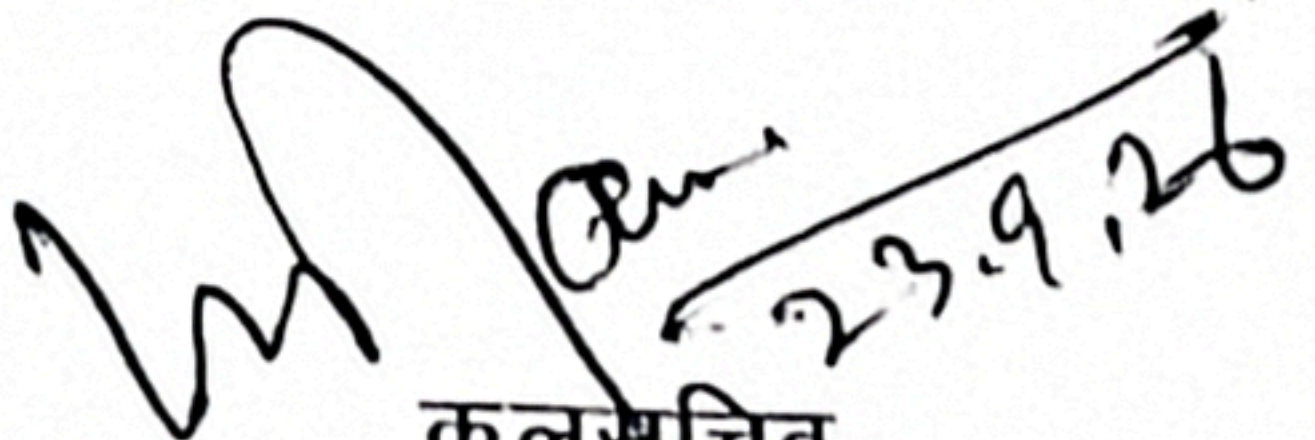
(ब) विगत, तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) में ठेकेदार द्वारा कम से कम रु० 8.00 लाख मूल्य का 01 कार्य या रु० 6.00 लाख मूल्य के 02 कार्य या रु० 4.00 लाख मूल्य के 03 कार्यों को संतोषजनक रूप से सम्पादित करने का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त कार्यानुभव मौलिक सिविल अनुरक्षण एवं लघु/नवीन निर्माण कार्यों के लिये ही मान्य होगा। इस विषयक सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना भी आवश्यक है।

(9)- उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जोनल इंचार्ज (मुख्य अभियंता) अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्धित डिवीजन जिनमें ठेकेदारी हेतु पंजीकृत हों, के अधिशासी अभियंता/मुख्य अभियंता द्वारा प्रदत्त कार्यव्यवहार सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(10)- ठेकेदार को संलग्नक-'ब' पर यह लिखित शपथ-पत्र देना होगा कि उन्हें पूर्व में विभाग (जिसमें उनका पंजीकरण है) द्वारा कभी भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया साथ ही यह भी शपथ-पत्र दिया जाना आवश्यक है कि ठेकेदार को कार्य समय पर पूर्ण न करने/अवमानक (निम्न गुणवत्तायुक्त) कार्य करने के एवज में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) द्वारा निविदा की सामान्य शर्तों के अधीन कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है अथवा किसी भी प्रकार की पैनाल्टी नहीं लगायी गयी है।

पंजीकरण के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक दिशानिर्देश व शर्तें निम्नवत् हैं—

- (i)- सामान्यतः सम्बन्धित ठेकेदार का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/विश्वविद्यालय में जिन कार्यों— भवन/सड़क/अन्य हेतु पंजीकरण होगा उनका पंजीकरण विश्वविद्यालय में उन्हीं कार्यों (सड़क/भवन) हेतु किया जायेगा, तथापि कार्यहित में विश्वविद्यालय इस सन्दर्भ में आवश्यक निर्णय हेतु स्वतन्त्र होगा।
सामान्यतः विश्वविद्यालय कार्यों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित विशिष्टियाँ, मानक, नियम व शर्तें प्रभावी होंगी व कार्यों पर अनुबंध की सामान्य शर्तें भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की होंगी।
- (ii)- विश्वविद्यालय में विभिन्न सिविल अनुरक्षण तथा लघु कार्यों हेतु पूर्व से पंजीकृत ठेकेदारों को भी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा तथा वांछित विवरण उपलब्ध होने के पश्चात ही विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण नवीनीकृत किया जायेगा।
- (iii)- संबंधित ठेकेदार द्वारा ESI/EPFO में पंजीकरण संबंधी विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। साथ ही जिन कार्यों में 20 या 20 से अधिक मजदूर लगाये जायेंगे उन कार्यों पर लेबर इनफोर्समेंट कार्यालय के दिशानिर्देशानुसार आवश्यक पत्रजात विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा ESI/EPFO/Labour Law का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- (iv)- समस्त विवरण निर्धारित प्रपत्र संलग्नक—‘अ’ व शपथ पत्र संलग्नक ‘ब’ पर ही मान्य होगा जिसके साथ संलग्नक ‘स’ पर ‘कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र’ एवं समस्त वांछित प्रपत्र संलग्न होने आवश्यक हैं। इन सभी पत्रजातों को एक बड़े लिफाफे में सील्ड कर प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, अभियंत्रण सेवा अनुभाग हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वितीय तल छात्र सुविधा केन्द्र समीप मुख्य गेट प्रशासनिक भवन श्रीनगर गढ़वाल को पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जायेंगे। लिफाफे के ऊपर “सिविल अनुरक्षण तथा लघु कार्यों हेतु ठेकेदारों का पंजीकरण” आवश्यक रूप से अंकित किया जाय।
- (v)- विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय वेबसाइट—www.hnbg.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है साथ ही किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता कार्यालय हे0न0ब0ग0वि0वि0 में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
- (vi)- पंजीकरण के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय को बिना कारण बताये एक या समस्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा साथ ही पंजीकरण के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के Enlistment terms & conditions की शर्तें प्रभावी होंगी एवं किसी भी विवाद की स्थिति में पक्षकारों को अधिशासी अभियन्ता के0लो0नि0वि0 श्रीनगर का निर्णय मान्य होगा।
- (vii)- ठेकेदार/संबन्धित फर्म से यह अपेक्षा है कि वे पंजीकरण संबंधी सभी शर्तों एवं दिशानिर्देशों का भलीभाँति अध्ययन करें एवं उसी अनुसार सभी वांछित प्रपत्र/पत्रजात संलग्न कर प्रेषित करें। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


23.9.26
कुलसचिव,
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय
दूरभाष सं0—


AE, CPWD


10

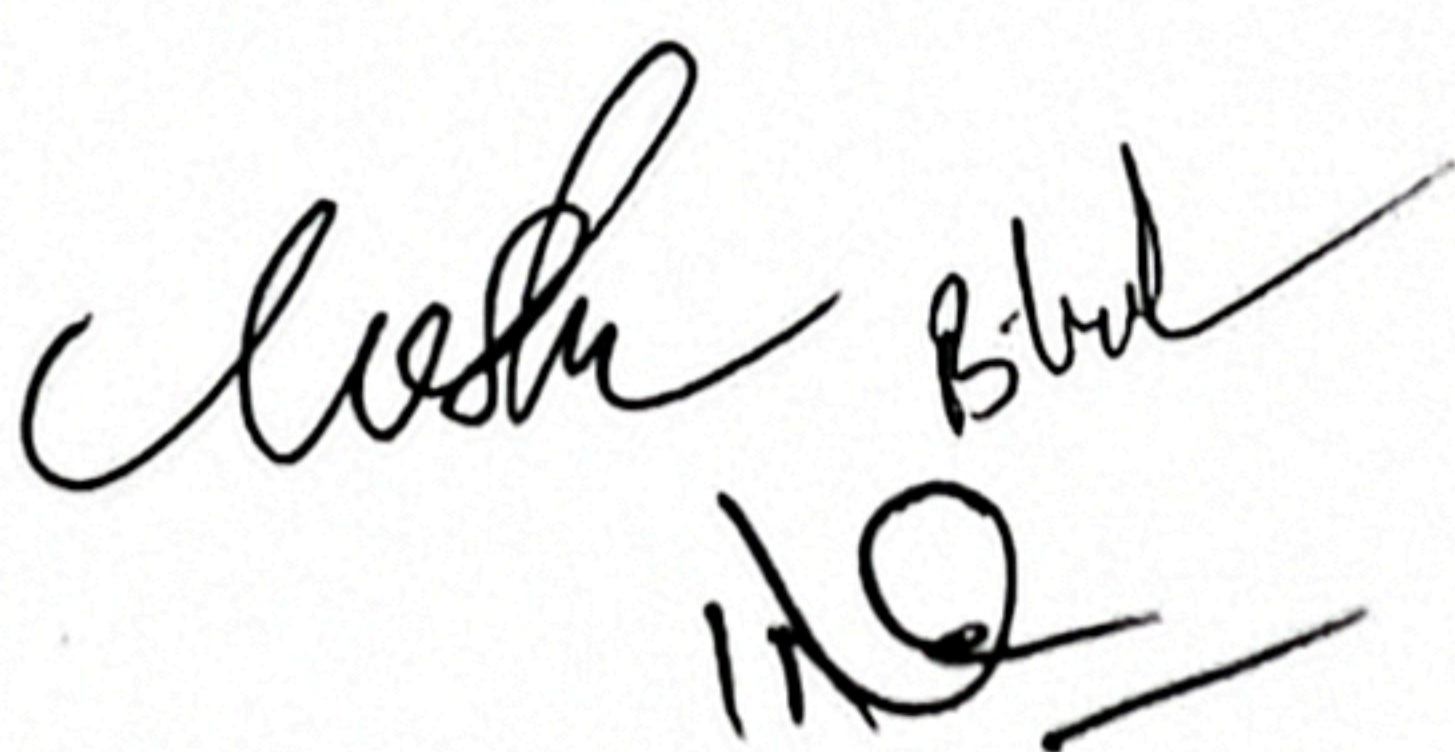
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

[सामान्य वित्तीय नियम— सीमित निविदा के अन्तर्गत विभिन्न सिविल अनुरक्षण, परिवर्तन/परिवर्धन, इत्यादि कार्यों के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय में ठेकेदारों के पंजीयन एवं पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों का 'पंजीयन नवीनीकरण' हेतु आवेदन का प्रपत्र]

1.	ठेकेदार/फर्म का नाम (फर्म की स्थिति में—प्रोपराइटर के नाम सहित)	—	
2.	पिता का नाम	—	
3.	पंजीकृत पता (ठेकेदार उत्तराखण्ड का निवासी होना आवश्यक है)	—	
4.	पत्र व्यवहार का पता	—	
5.	ई-मेल	—	
6.	दूरभाष सं० / मोबाइल सं०	—	
7.	पेन सं० [PAN] (छायाप्रति संलग्न करें)	—	
8.	टिन सं० [GSTIN] (छायाप्रति संलग्न करें)	—	
9.	लो०नि०वि० अथवा के०लो०नि०वि० अथवा विश्वविद्यालय में ठेकेदार के रूप में पंजीकरण का विवरण/पंजीकरण संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)	—	
	1) कार्य की प्रकृति जिस हेतु पंजीकरण किया गया हो।		(भवन/सड़क/अन्य)
	2) किस सीमा तक के कार्यों के सम्पादन हेतु पंजीकृत है, का विवरण		रु० (अंकों में).....रु० (शब्दों में).....
	3) पंजीकरण की वैधता की अवधि		(दि० से दि० तक)


AE, CPWD




Clerk
11/2

10. विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2026 की अवधि) में ठेकेदार द्वारा रू0 5.00 लाख से अधिक मूल्य के सम्पन्न किये गये न्यूनतम 05 प्रमुख (मौलिक सिविल अनुरक्षण/लघु/नवीन निर्माण) कार्यों का विवरण वांछित अभिलेखों की छायाप्रति सहित।

क्र0सं0	संपादित किये गये मौलिक सिविल अनुरक्षण एवं लघु/नवीन निर्माण कार्य का नाम।	कार्यस्थल का विवरण।	संपादित कार्य की अंतिम लागत।	अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि	अनुबंध के अनुसार कार्य संपादन तिथि	कार्य संपादन की वास्तविक तिथि	संबंधित अधिशासी अभियंता या समतुल्य अधिकारी द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्नक 'स' के प्रारूप पर।
01							
02							
03							
04							
05							

नोट:- *विगत, तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) में ठेकेदार द्वारा कम से कम रू0 8.00 लाख मूल्य का 01 कार्य या रू0 6.00 लाख मूल्य के 02 कार्य या रू0 4.00 लाख मूल्य के 03 कार्यों को संतोषजनक रूप से सम्पादित करने का अनुभव होना आवश्यक है अतैव इस विषयक कार्यों का विवरण उक्त तालिका में दिया जाना आवश्यक है।
**एक वर्ष से पूर्व के वर्षों में संपादित किये गये कार्यों की वर्तमान में लागत की गणना 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की मूल्यवृद्धि के आधार पर आंकलित की जायेगी।

11. यदि ठेकेदार/फर्म के साथ तकनीकी व्यक्ति सम्बद्ध हो तो उसका विवरण –

तकनीकी व्यक्ति का नाम	तकनीकी योग्यता	दूरभाष संख्या/ई-मेल

12. उपलब्ध मशीनरी का विवरण –.....

13. यदि विश्वविद्यालय में आवेदनकर्ता ठेकेदार का कोई नजदीकी रिश्तेदार कार्यरत हो तो सम्बन्धित कर्मचारी का विवरण –

कर्मचारी का नाम	पदनाम	परिसर का नाम (जिस में तैनात हैं।)	दूरभाष

(विश्वविद्यालय में नजदीकी रिश्तेदार से तात्पर्य-विश्वविद्यालय मुख्यालय व परिसरों में तैनात पत्नी, पति, माता-पिता (Parents), पर-माता पिता (Grand Parents), बच्चे, पोता-पोती (Grand Children), भाई, बहन, चाचा, चाची, चचेरे-ममेरे-मौसेरे-फुफेरे भाई बहिन (Cousins), एवं ससुरालियों से है)।

14. पंजीयन हेतु वित्त अधिकारी हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम जमा किए गये पंजीयन शुल्क (Non-refundable) रू0 5000=00 (पाँच हजार) का विवरण –

1. ड्राफ्ट संख्या

2. दिनांक



शपथ (रु0 सौ के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर)

मैं पुत्र निवासी घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार संलग्नक—'अ' में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य, गलत बयानी, गलत प्रस्तुतीकरण के लिये किसी प्रकार का वाद न तो लम्बित है तथा न ही दोष सिद्ध है। यदि मेरे द्वारा घोषित कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है, तो, विभाग को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय मेरा पंजीकरण निरस्त कर सकता है तथा मेरे विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है।

2— मैं कार्य निष्पादन के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ ESI/EPFO/Labour Enforcement Office द्वारा प्रकाशित नियमों/अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करूँगा।

3— मैं यह शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मुझे (ठेकेदार को) विभाग..... (जिसमें पंजीकरण है) द्वारा कभी भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

4— मैं यह भी शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मुझे (ठेकेदार को) कार्यों के सापेक्ष— कार्य समय पर पूर्ण न करने/अवमानक (निम्न गुणवत्तायुक्त) कार्य करने के एवज में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/अन्य) द्वारा निविदा की सामान्य शर्तों के अधीन किसी भी क्लॉज में कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है एवं कोई पैनाल्टी नहीं लगायी गयी है।

5— मैं यह भी शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि विश्वविद्यालय में पंजीकरण होने के पश्चात विभिन्न विभागों/अनुभागों में कार्य निष्पादन के दौरान विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में किसी गोपनीय जानकारी/अभिलेख को किसी भी दशा में सार्वजनिक नहीं करूँगा तथा कार्यों को गुणवत्ता के साथ सम्पन्न करूँगा।

आवेदक/फर्म का नाम हस्ताक्षर व मुहर सहित

दिनांक:—



कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
(दिनांक)

संबंधित ठेकेदार/फर्म का नाम:

प्रमाणित किया जाता है कि (ठेकेदार/फर्म का नाम.....) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के अधिष्ठान में निम्नलिखित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया है।

कार्य का नाम	
अनुबंध संख्या	
कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि	
कार्य संपादन की निर्धारित तिथि	
कार्य संपादन की वास्तविक तिथि	
कार्य की आगणित राशि	
टेण्डर राशि	
कार्य संपादन राशि	
कार्य की गुणवत्ता	
कार्य की वर्तमान स्थिति	

हस्ताक्षर एवं मुहर (अधिशाली अभियंता अथवा समतुल्य अधिकारी)
विभाग का नाम:

The block contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures, there is a circular official stamp with the text 'AG, CPWD' visible.